इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 17 | अंक संख्या 8 | मार्च, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
बीमा.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....4
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....5
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....6
बाजार की खबरें.....7
नयी पहलकदमी.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 5-7 फरवरी 2025 को हुई बैठक की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई। बैठक की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

- रेपो दर 25 बीपीएस घटाकर 6.25% कर दी गई है।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.00% कर दी गई है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर अब 6.50% है।
- विकास को बल प्रदान करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति में लक्ष्य के अनुरूप स्थायित्व लाने पर ध्यान देता रहेगा। मौद्रिक नीति की तटस्थता बनी रहेगी।

विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य की मुख्य बातें

- सेबी –पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकर अपने ग्राहकों की तरफ से निगोशिएटेड आदेश प्रणाली-आदेश मिलान (NDS-OM) का उपयोग कर सकेंगे। उपयोग की यह अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी।
- उपयुक्ततम मूल्य निर्धारण तथा इष्टतम नकदी आवश्यकताओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार समूहों में सौदे व निपटान के समय की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
- वित्तीय क्षेत्र में भरोसा बढ़ाने हेतु 'bank.in' तथा 'fin.in' नामक नए डोमेन लाए जाने वाले हैं।
- ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, भारत में जारी कार्डों का उपयोग कर किए जाने वाले क्रास-बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट (CNP) संव्यवहारों में एक अतिरिक्त अधिप्रमाणन फैक्टर जोड़ने का प्रस्ताव है।

परिचालन में और स्वतंत्रता देने हेतु शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के विवेकपूर्ण मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के कतिपय विवेकपूर्ण मानदंडों को संशोधित किया है ताकि विनियामक उद्देश्यों को कमजोर किए बिना उन्हें परिचालन में और स्वतंत्रता दी जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च 2026 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवश्यक होगा कि उनके सकल ऋणों तथा अग्रिमों का न्यूनतम 50% कम मूल्य वाले ऋणों का हो। कम मूल्य वाले ऋणों की परिभाषा में संशोधन के निर्णय के अनुसार इन ऋणों का मूल्य 25 लाख रुपए या उक्त बैंकों की टियर I पूंजी के 0.4% (पूर्व में 0.2%), इनमें से जो ज्यादा हो, से अधिक नहीं होगा और यह प्रति ऋणी 3 करोड़ रुपए (पूर्व में 1 करोड़ रुपए) की उच्चतम सीमा के अधीन होगा। एक शहरी सहकारी बैंक के लिए आवासीय, रियल एस्टेट तथा वाणिज्यिक रियल एस्टेट को इसके एक्सपोजर की उच्चतम सीमा इसकी कुल आस्तियों का 10% रखी गई है। आवासीय मार्गेज को एक शहरी सहकारी बैंक का सकल एक्सपोजर अर्थात व्यक्तियों को आवास ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत को छोड़ कर), इसके कुल ऋणों तथा अग्रिमों के 25% से अधिक नहीं होगा।

निष्क्रिय फोलियो ढूँढने में म्यूचुअल फंड निवेशकों को समर्थ बनाने हेतु सेबी द्वारा डिजिटल प्लेटफार्म मित्र (MITRA) की शुरुआत

उन म्यूचुअल फंड फोलियो जो चूक, दस्तावेज़ खो जाने, मूल निवेशक के देहांत अथवा अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानक के कालातीत हो जाने के कारण अदावीकृत हैं, के मुद्दों के समाधान हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड इनवेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट मित्र (MITRA) लेकर आया है जो निष्क्रिय तथा अदावीकृत फोलियो का पता लगाने में निवेशकों की मदद करेगा। रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (RTA) द्वारा निर्मित यह प्लेटफार्म सभी म्यूचुअल फंड में निष्क्रिय तथा अदावीकृत फोलियो का सर्च करने योग्य डेटाबेस उपलब्ध कराएगा जिससे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा निष्क्रिय फोलियो में धोखाधड़ी की संभावना न्यून होगी। इसके साथ यूनिटधारक सुरक्षा समिति (UHPC) अदावीकृत लाभांश तथा विमोचनों को ध्यान में रख निष्क्रिय फोलियो की समीक्षा करेगी तथा अदावीकृत राशि में कमी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करेगी।

खुदरा निवेशकों को अगस्त 2025 से एल्गो ट्रेडिंग में शामिल होने की अनुमति

सेबी ने खुदरा निवेशकों को 1 अगस्त 2025 से एल्गो ट्रेडिंग में शामिल होने की अनुमति दे दी है। उन्हें केवल पंजीकृत ब्रोकरों से, अनुमोदित एल्गो में कारबार की अनुमति होगी। इस समय मात्र संस्थागत निवेशक ही अल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग में भाग ले सकते हैं जो उन्हें समयनिष्ठ एवं प्रोग्राम्ड आदेश निष्पादन का लाभ देता है।

समेकित खाता विवरण (CAS) हेतु समय सीमा में सेबी द्वारा संशोधन; पैन डेटा हेतु अंतिम तिथि बढ़ा कर 5 दिन कर दी गई है

अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, समेकित खाता विवरण (CAS) जारी करने हेतु सेबी ने समय सीमा में सुधार किया है। तदनुसार, आस्ति प्रबंधन समितियां (AMC) तथा म्यूचुअल फंड - रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट (MF-RTAs) डिपॉजिटरीज़ को मासिक कॉमन पैन डेटा माह के अंत से पूर्व के तीन दिनों की बजाय पाँच दिनों के भीतर उपलब्ध कराएंगे। डिपॉजिटरीज़ को पैन डेटा मिलने पर उन्हें जानकारी समेकित कर निवेशकों को सीएएस प्रेषित करना होगा। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी का विकल्प चुना है उन्हें माह समाप्ति से 12वें दिन के भीतर यह स्टेटमेंट मिल जाएगा जबकि भौतिक कॉपी चाहने वाले निवेशकों को यह माह समाप्ति से 15 वें दिन के भीतर मिलेगा। ये संशोधन 14 मई 2025 से लागू होंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

जोखिम भार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपना निर्णय वापस लेने से बैंकों को अधिक पूंजी मिलेगी

बैंक ऋणों पर जोखिम भार बढ़ाने के अपने निर्णय को भारतीय रिज़र्व बैंक ने वापस ले लिया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (SCB) के एक्सपोजर पर जोखिम भार में 25 प्रतिशत पॉइंट (दी गई बाह्य रेटिंग से संबद्ध जोखिम भार के ऊपर) की वृद्धि उन सभी मामलों में की गई थी जहां एनबीएफसी की बाह्य रेटिंग के अनुसार वर्तमान जोखिम भार 100% से नीचे था। अब ऐसे एक्सपोजर पर लागू जोखिम भार को वापस लाने का निर्णय लिया गया है तथा यह बाह्य रेटिंग के अनुसार होगा। व्यैक्तिक ऋणों सहित किंतु आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण व स्वर्ण तथा स्वर्णाभूषणों की जमानत पर ऋणों को छोड़ कर, उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार बढ़ा कर 125% कर दिया गया था। समीक्षोपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि उपभोक्ता ऋण की प्रकृति वाले सूक्ष्म वित्त ऋणों पर भी उच्चतर जोखिम भार नहीं लागू होगा और तदनुसार वे 100% के जोखिम भार के अधीन होंगे।

पीएम-जीएएच (GAH) लेनदेनों का मिलान एनडीएस-ओएम पर किया जा सकता है: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक प्राथमिक सदस्य (PM) और इसके खुद के गिल्ट खाताधारक (GAH) के बीच या उसी प्राथमिक सदस्य के दो गिल्ट खाताधारकों के बीच लेनदेनों का मिलान, एनडीएस–ओएम के अज्ञात आदेश मिलान खंड तथा रिक्वेस्ट फॉर कोट (RFQ) खंड, दोनों पर करने की अनुमति दे दी है। ऐसे लेनदेनों का समाधान व निपटान भारतीय समाधान निगम लिमिटेड (CCIL) के जरिए किया जाएगा। इसके साथ, एक प्राथमिक सदस्य (PM) और इसके खुद के गिल्ट खाताधारक (GAH) के बीच अथवा उसी प्राथमिक सदस्य के दो गिल्ट खाताधारकों के बीच द्विपक्षीय सौदेबाजी वाले लेनदेनों का समाधान व निपटान भारतीय समाधान निगम लिमिटेड के जरिए करने का विकल्प उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ये लेनदेन एनडीएस -ओएम पर रिपोर्ट किए गए हों।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में वायदा संविदाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मानदंड जारी

भारत में ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में की गई वायदा संविदाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंड जारी किए हैं ताकि बाज़ार भागीदार (विशेषकर दीर्घकालिक निवेशक) अपने नकदी प्रवाह एवं ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सकें। निवासी अथवा अनिवासी जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियम, 2019 के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हों, इस तरह के लेनदेन कर सकते हैं। गैर-खुदरा उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र कोई संस्था, उपयोगकर्ता के रूप में लेनदेन बांड फारवर्ड्स में करेगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा स्वतंत्र (standalone) प्राथमिक डीलर (PD) बांड फारवर्ड्स के लिए यथा मार्केट मेकर कार्य कर सकते हैं। एक मार्केट मेकर बांड फारवर्ड्स में लॉन्ग पोजीशन बिना किसी सीमा के तथा रक्षित शार्ट पोजीशन ले सकता है। जिस मार्केट मेकर को शार्ट सेल्स करने की अनुमति है वह अरक्षित शार्ट पोजीशन भी ले सकता है लेकिन केवल तब जब अंतर्निहित सरकारी प्रतिभूति शार्ट सेल के योग्य हो। ये निदेश 2 मई 2025 से लागू होंगे।

बीमा

प्रीमियम भुगतान में सुविधा हेतु आइआरडीएआई (IRDAI) द्वारा बीमा-अस्बा (Bima-ASBA) की शुरुआत

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा-अस्बा (अप्लिकेशन्स सपोर्टेड बाई ब्लाक्ड अकाउंट्स) नामक भुगतान प्रणाली शुरू की है ताकि जीवन व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम भुगतान आसान बनाया जा सके। यह सुविधा 1 मार्च 2025 से शुरू होगी जिसमें पॉलिसीधारक अपने बैंक खाते में निधियों को यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए अवरुद्ध कर सकेंगे। यह राशि को तुरंत नामे किए बिना सुगम संव्यवहार प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार खाते में निधियाँ उपलब्ध रहेंगी किन्तु जब तक बीमाकर्ता आवेदनों पर निर्णय नहीं लेता, निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया जाता है तो बीमाकर्ता अवरुद्ध राशि को नामे करने हेतु बैंक से अनुरोध करेगा। यदि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है तो निधियाँ मुक्त कर दी जाएंगी व बिना किसी कटौती के पॉलिसीधारक को लौटा दी जाएंगी। पॉलिसीधारक की निधियाँ अवरुद्ध रहने के दौरान उनके धन पर ब्याज मिलता रहेगा जो अतिरिक्त वित्तीय लाभ है।

विनियामक के कथन

अत्यधिक एक्सपोजर तथा ज्यादा लीवरेजिंग वित्तीय प्रणाली के लिए हानिप्रद है: श्री राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने अप्रतिभूत खंड में अत्यधिक उधार लिए जाने तथा पूंजी बाजार में डेरिवेटिव के प्रति जोश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक एक्सपोजर एवं ज्यादा लीवरेजिंग व्यक्तियों तथा पूरी वित्तीय प्रणाली के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि कृत्रिम मेधा (AI) किस प्रकार जोखिम आकलन तथा धोखाधड़ी का जल्दी पता लगा सकती है जो ग्राहकों के लिए राहतदायक है।

श्री राव ने सृजनात्मक विनाश तथा सृजनात्मक व्यवधान की भी चर्चा की। अर्थशास्त्री जोसफ शुम्पीटर द्वारा प्रचारित सृजनात्मक विनाश की अवधारणा का आशय पुरानी प्रणालियों को पूर्णत: ध्वस्त कर नई प्रणालियों के लिए जगह बनाने से है। दूसरी तरफ सृजनात्मक व्यवधान मौजूदा प्रणालियों को तकनीकी नवोन्मेषों के जरिए सुधारने और परिष्कृत करने से संबंधित है। श्री राव का मत था कि जोर मौजूदा प्रणालियों को बस प्रतिस्थापित करने की बजाय उनमें बदलाव लाना होना चाहिए। यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (UPI), अकाउंट एग्रीगेटर (AA) ढांचे तथा यूनाइटेड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) जैसे नवोन्मेष लाकर भारत ने वित्त में सृजनात्मक व्यवधान का उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री राव ने यह भी सुझाव दिया कि इस नए परिदृश्य में प्रतिस्पर्द्धा में बने रहने हेतु वित्तीय संस्थानों को डिजिटल अवसंरचना में अनिवार्यत: निवेश कर इसे ग्राहक-केंद्रित, डेटाचालित दृष्टिकोण की धुरी बनाना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आरबीआई बुलेटिन 2025 की मुख्य बातें निम्नवत हैं:

- मुख्यत: तेल निर्यातों में कमी के कारण भारत का वस्तु निर्यात जनवरी 2025 में 2.4% (वर्षानुवर्ष) घट कर 36.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।
- जनवरी 2025 में भारत का वस्तु आयात 10.3% (वर्षानुवर्ष) बढ़ कर 59.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- वस्तु व्यापार घाटा जनवरी 2024 के 16.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर जनवरी 2025 में 23 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- नवंबर तथा दिसंबर 2024 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई जिससे अप्रैल-दिसंबर 2024 में वृद्धि दर वर्षानुवर्ष 1.7% रही।
- जनवरी 2025 भारत का विनिर्माण पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (PMI) छ: माह के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।
- कोर मुद्रास्फीति जो दिसंबर 2024 में 3.6% थी, दिसंबर 2025 में बढ़ कर 3.7% हो गई।
- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति बेंचमार्क पर आय 15 जनवरी 2025 के 6.85% से घट कर 13 फरवरी 2025 को 6.75% रही।
- डिजिटल भुगतान सूचकांक सितंबर 2024 में 465.3 पर पहुंच गया जो देश में डिजिटलीकरण के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री तुहिन कांत पांडे	अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 फरवरी 2025 के दिन करोड रुपए	28 फरवरी 2025 के दिन मिलियन अमरीकी डॉलर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डॉलर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	5589313	638698	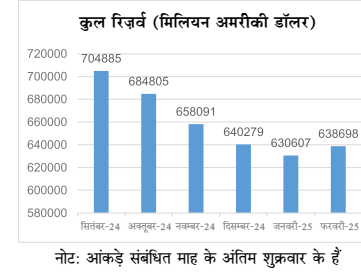
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4754944	543350	
1.2 सोना	641218	73272	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	157504	17998	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	35646	4078	

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 28 फरवरी 2025 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें - मार्च 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	दर
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.33
SONIA (जीबीपी)	4.4547
STR (यूरो)	2.665
TONA (जापानी येन)	0.477
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.9900
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.1
SARON (स्विस फ्रैंक)	0.447406

एआरआर	दर
OCR (न्यूज़ीलैंड डॉलर)	3.75
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	2.138
SORA (सिंगापुर डॉलर)	2.4175
HONIA (हांगकांग डॉलर)	3.46269
MYOR (म्यांमार रुपया)	3.01
DESTR (डैनिश क्रोन)	2.3580

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

अल्गोरिद्मिक व्यापार

अल्गोरिद्मिक व्यापार का संदर्भ स्वचालित निष्पादन तर्क के प्रयोग से जनित किसी आदेश से है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा वित्तीय बाज़ारों का संयोजन कर निश्चित समय पर व्यापार निष्पादित करता है। व्यापार उच्च गति व आवर्तिता से निष्पादित होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

जोखिम भार

बासेल II में बाध्यताधारी के ऋण जोखिम को मापने हेतु जोखिम भार तालिका दी गई है। जोखिम भार सावरेन, वित्तीय संस्थाओं तथा निगमों को बाहरी ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग से संबद्ध होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च 2025 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
आईटी तथा साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	10-11 मार्च 2025	वर्चुअल
बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लेखा परीक्षकों हेतु कार्यक्रम	11-12 मार्च 2025	
डिजिटल सुरक्षा - आईटी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर अपराध निवारण में मास्टरी पर कार्यक्रम	11-12 मार्च 2025	
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	19-21 मार्च 2025	
आईआरएसी (IRAC): प्रावधान न्यूनतम रखने की रणनीतियों की समझ पर कार्यशाला	20 मार्च 2025	

संस्थान समाचार

14वां आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान

भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिल कर आयोजित 14वां आर. के. तलवार स्मृति व्याख्यान एसबीआई सभागार, नरीमन पॉइंट, मुंबई में 27 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ जिसमें वक्ता श्री एम. नगराजु भारतीय प्रशासनिक सेवा, सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय थे। व्याख्यान में बैंकर उपस्थित थे। उपस्थित लोगों ने व्याख्यान की प्रशंसा की।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनेंस इयरबुक 2025 का चौथा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र के विभिन्न वर्टिकल में सभी प्रमुख घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों तथा विनियामक बदलावों का विस्तृत डाइजेस्ट है। अमेजान पर यह पुस्तक पेपरबैक तथा किंडल संस्करण में उपलब्ध है। यह प्रकाशक मेसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा विक्रेताओं से भी खरीदी जा सकती है।

आईआईबीएफ द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

संस्थान ने डायमंड जुबिली तथा सीएच भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF) योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए हैं। फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थियों को भारत या विदेश में बैंकिंग व वित्त के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पर शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। और अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in पर जाएँ।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जनवरी-मार्च 2025 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'साइबर धोखाधड़ी प्रबंधन' रखा गया है ।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने व्यवस्था बनाई है कि विनियामकों द्वारा सूचित हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्र में शामिल करने के उद्देश्य से विनियामक(कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग जगत की इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्र में शामिल करने के उद्देश्य से विनियामक(कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग जगत की इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के न्यूज लेटर आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व विषयक तथा अन्य विवरण

1. प्रकाशन का स्थान	:	मुंबई
2. प्रकाशन की आवर्तिता	:	मासिक
3. प्रकाशक का नाम	:	श्री विश्व केतन दास
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोहिनूर सिटी, कमर्शियल -II, टावर -1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई-400 070
4. संपादक का नाम	:	श्री विश्व केतन दास
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोहिनूर सिटी, कमर्शियल -II, टावर -1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई-400 070
5. मुद्रण प्रेस का नाम	:	ऑनलुकर प्रेस, ए 2, भायखला सर्विस इंडस्ट्रीज, दाड़ोजी कोंडदेव मार्ग, भायखला (पू), मुंबई-400 027
6. स्वामियों का नाम और पता	:	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोहिनूर सिटी, कमर्शियल -II, टावर -1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई-400 070

मैं, श्री विश्व केतन दास, एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

31.03.2025

श्री विश्व केतन दास
प्रकाशक के हस्ताक्षर

बाजार की खबरें

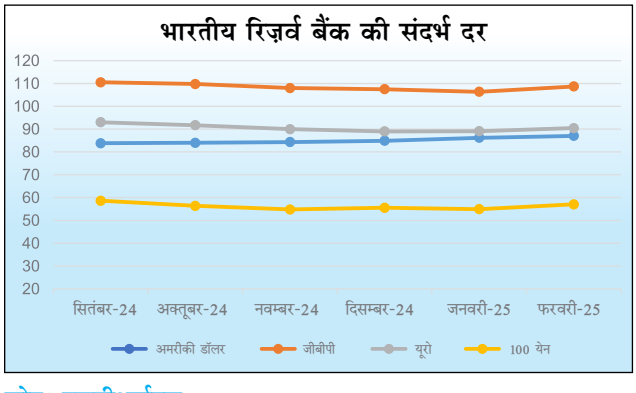

स्रोत: एफबीआईएल

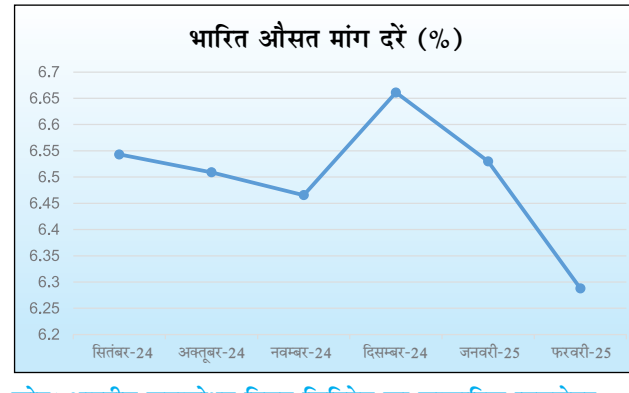

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

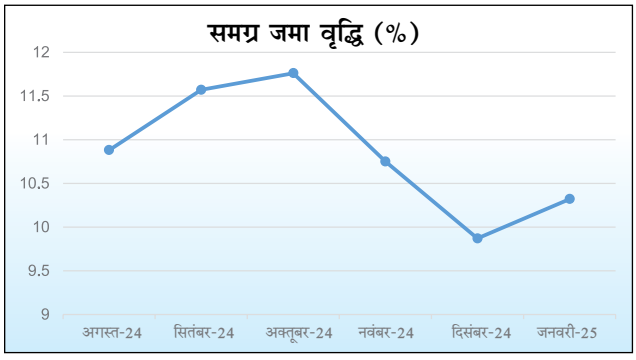

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2025

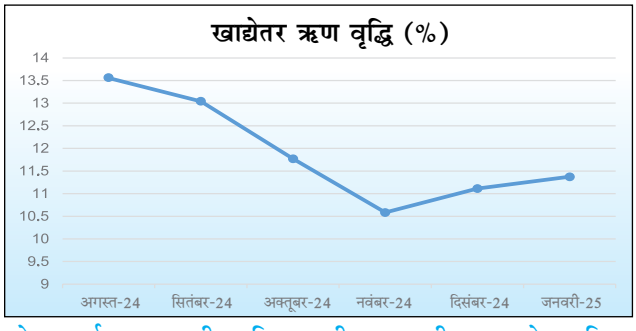

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2025

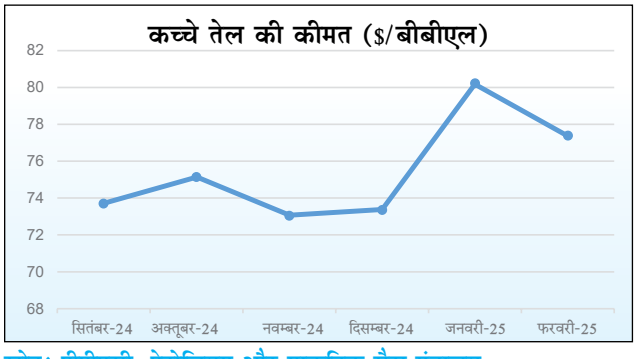

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

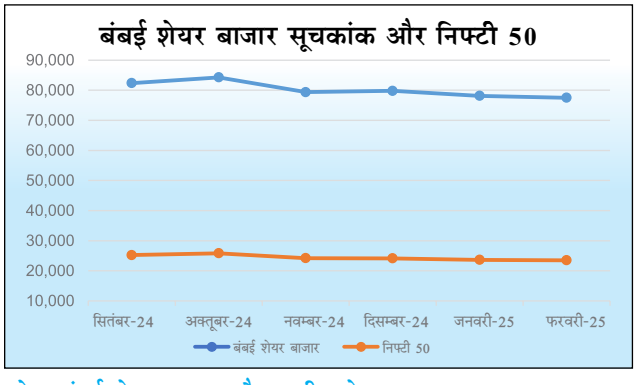

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

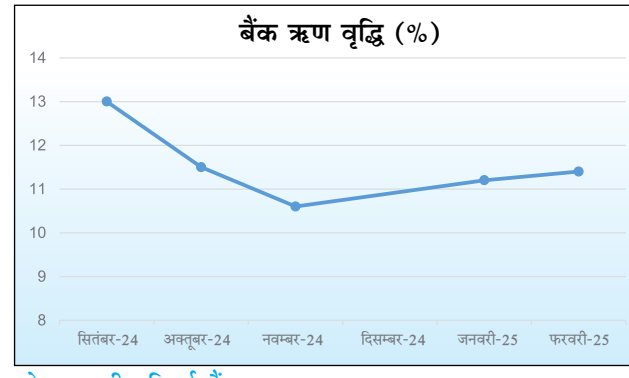

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

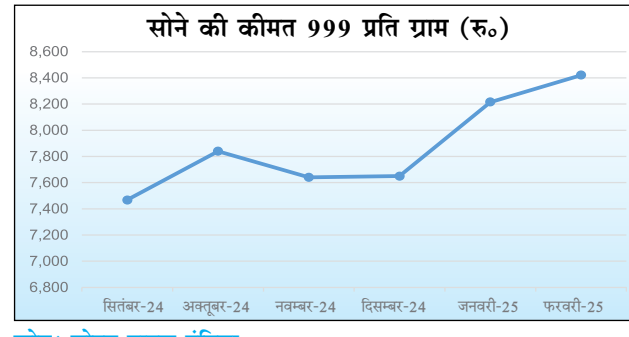

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in